Hindustan Times

BAN ON CASTE-BASED RALLIES: HC SEEKS REPORT ON NOTICES SERVED TO FOUR POLITICAL PARTIES

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : The Lucknow bench of the Allahabad high court sought fresh service report from its office by April 29 on the notices issued to four political parties earlier on a plea related to the ban on caste-based rallies.

The order was passed by a division bench comprising Justice Rajan Roy and Justice Om Prakash Shukla on April 10, in response to a public interest litigation (PIL) filed by a local lawyer Moti Lal Yadav in 2013. The petitioner sought directives from the court to the Election Commission of India (ECI) to derecognise political parties that hold caste-based rallies. On March 18, 2024, the court issued fresh notices to the four political parties - the BJP, the SP, the BSP, and the Congress. It also granted last opportunity to the counsel of Union of India to file the reply, if any, as the plea was pending since 2013 and no reply was filed by central government till now. The petitioner had alleged in the PIL that caste-based rallies created a toxic atmosphere among the public. Hence such rallies should be totally banned, especially at the time of election, the counsel had requested the court.

Hindustan Times

{ PRE-POLL CRACKDOWN } CASH SEIZURE UP 117%

Even before first phase of polling, EC seizures hit ₹4,650 cr, 34% higher than entire 2019 elections

Vrinda Tulsian
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Election Commission of India (EC) announced on Monday record seizures of inducements in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections, with a staggering ₹4,650 crore recovered in cash, drugs, liquor, precious metals and freebies between March 1 and April 13, which came to about 34% higher than the ₹3,475 crore value of materials seized during the entirety of the 2019 election campaign.

RAJASTHAN HAD THE HIGHEST SEIZURES OF ALL STATES AND UTs, AT ₹778 CRORE

Compared to seizures made in the corresponding period of the 2019 Lok Sabha elections, the current seizures represent a significant increase across all categories: cash saw a 114% rise, while liquor and precious metal seizures increased by 61% and 43%, respectively.

The most substantial increase, by value, was in drug seizures, which skyrocketed by 62% to ₹2,068 crore being recovered by enforcement agencies.

Rajasthan recorded the highest seizures among all states and Union territories, with a total of ₹778 crore, followed by Gujarat at ₹605 crore, and Tamil Nadu with ₹460 crore.

Among the seized items, drugs had the highest value in Gujarat (₹485 crore), while freebies were the most seized in Rajasthan (₹533 crore). →P11

Record ₹4.6k-cr inducements seized ahead of polls, says EC

Vrinda Tulsian
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Election Commission of India (ECI) announced on Monday record seizures of inducements in the run-up to the Lok Sabha elections, with a staggering ₹4,650 crore recovered in cash, drugs, liquor, precious metals and freebies between March 1 and April 13, which came to be about 34% higher than the ₹3,475 crore value of materials seized during the entirety of the 2019 election campaign.

Compared to seizures made in the corresponding period of the 2019 Lok Sabha elections, the current seizures represent a significant increase across all categories: cash saw a 114% rise, while liquor and precious metal seizures increased by 61% and 43%, respectively. The most substantial increase, by value, was in drug seizures, which skyrocketed by 62% to ₹2,068 crore being recovered by enforcement agencies.

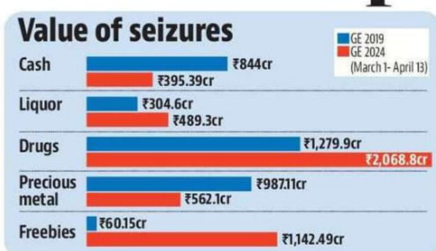

"Enforcement agencies have made a record seizure of over ₹4,650 crores in ECI's resolute fight against money power even before the first phase of polling for the 18th Lok Sabha elections commences on Friday," the panel said in a press note.

The commission attributed the increase in enforcement to deployment of advanced technology, such as the Election Seizure Management System (ESMS), and the collaboration of multiple enforcement agencies at both the central and state levels.

It marked 123 Parliamentary Constituencies as Expenditure Sensitive Constituencies for more focused vigilance and deployed 781 expenditure observers to monitor these constituencies, and also said it has taken "strict action" against 106 government servants who were found "assisting politicians in campaigning" in violation of the Model Code of Conduct (MCC).

"The seizures reflect ECI's unwavering commitment to monitor inducements and curb electoral malpractices for a 'level playing field', particularly in favour of smaller and less resourceful parties," the statement quoted chief election commissioner Rajiv Kumar as saying.

The poll body said vigilance efforts were underway earlier in the year, and countrywide seizures in January and February totalled another ₹7,502 crore in cash, liquor, drugs, precious metals and freebies. "This brings total seizure to over ₹12,000 crores so far with six weeks still left in the election period."

Rajasthan recorded the highest seizures among all states and Union territories, with a total of ₹778 crore, followed by Gujarat at ₹605 crore, and Tamil Nadu at ₹460 crore. Among the seized items, drugs had the highest value in Gujarat (₹485 crore), while freebies were the most seized in Rajasthan (₹533 crores).

Punjab recorded seizures totalling ₹311.84 crores, with drugs constituting a significant 90.04% of the seized items.

By value, drugs were the single-largest component at 45% of the ₹4,650 crore worth inducements recovered. Freebies made up for the next highest recoveries by value at ₹1,142 crore.

Like this time, drugs accounted for the most value, (₹1,280 crore) in the seizures during the corresponding period of the 2019 election campaign, but the second highest amount was in seized cash (₹844 crore). Freebies accounted for a scant ₹60 crore in the 2019 elections.

The authority said it is also focusing on drug-related seizures. "There was a substantial focus on drug seizures, which accounted for approximately 75% of the total seizures in January and February 2024," the press note said.

Kumar said the commission had stressed on the strict compliance of civil aviation security rules on surveillance and inspection of "non-scheduled aircrafts" – these are helicopters and private jets – by Income Tax, airport authorities, police chiefs of the districts concerned, border agencies and GST authorities.

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

अमर उजाला

चुनाव आयोग रोज कर रहा 100 करोड़ की जब्ती, अब तक 4,650 करोड़ की बरामदगी

चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती : इनमें नकदी, शराब, ड्रग्स, उपहार...अभी पहले दौर का मतदान बाकी...2019 के पूरे चुनाव के दौरान यह आंकड़ा था 3,475 करोड़

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में धनबल पर अंकुश लगाने में जुटा चुनाव आयोग एक मार्च से हर रोज तकरीबन 100 करोड़ रुपये की जब्ती कर रहा है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इससे पहले ही, एक मार्च से 13 अप्रैल तक आयोग 4,650 करोड़ की जब्ती कर चुका है। चुनावी इतिहास में यह सबसे बड़ी जब्ती है। इसमें नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती वस्तुएं और उपहार शामिल हैं। 45 फीसदी जब्ती नशीले पदार्थों की है। 2019 के पूरे लोकसभा चुनाव में कुल 3,475 करोड़ की जब्ती की गई थी।

आयोग के अनुसार, अब तक 395.39 करोड़ रुपये नकद, 489 करोड़ की शराब, 2,068 करोड़ की ड्रग्स, 562 करोड़ की कीमती वस्तुएं व 1,142 करोड़ के उपहार बरामद किए गए हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ड्रग्स, शराब और उपहारों की अधिक जब्ती हुई है। यह बरामदगी चुनाव को प्रलोभन से मुक्त कराने के संकल्प का अहम हिस्सा है।

गाजियाबाद में सोमवार को जांच के दौरान दस लाख रुपये बेनामी जब्त किए गए।

जब्ती में राजस्थान...ड्रग्स में गुजरात सबसे ऊपर

- राजस्थान 778.52 करोड़ की जब्ती के साथ शीर्ष पर है। गुजरात में 605.35 करोड़, तमिलनाडु में 460.84 करोड़, महाराष्ट्र में 431.34 करोड़, पंजाब में 311.84 करोड़, कर्नाटक में 281.43 करोड़, दिल्ली में 236.06 करोड़, प. बंगाल में 219.60 और उत्तर प्रदेश में 145.76 करोड़ जब्त किए गए।
- **तमिलनाडु में सर्वाधिक नकदी :** तमिलनाडु में 53.58 करोड़, तेलंगाना में 49.18 करोड़, महाराष्ट्र में 40.05 करोड़ रुपये जब्त किए।

ड्रग्स जब्ती : गुजरात 485.99 करोड़ के साथ शीर्ष पर है। तमिलनाडु में 293.02 करोड़, पंजाब में 280.81 करोड़, दिल्ली में 189.94 करोड़ रुपये।

शराब जब्ती : कर्नाटक में 124.33 करोड़ की 1.30 करोड़ लीटर। इसके बाद प. बंगाल में 51.17 करोड़, राजस्थान में 40.78 करोड़ की शराब जब्त।

राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर की तलाशी

नीलगिरि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर की नीलगिरि में चुनाव आयोग के उड़नदस्ते के अधिकारियों ने जांच की। राहुल तब वायनाड जा रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, सच को आंच नहीं, लेकिन आयोग पीएम, गृह मंत्री के हेलिकॉप्टर की भी जांच करे। एजेंसी

यूपी में 150 करोड़ की शराब, ड्रग और कीमती वस्तुएं सीज

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस और नार्कोटिक्स विभाग व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रदेश में अभी तक कुल 150 करोड़ की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त की गई है। इसमें 24 करोड़ नकद, 36.84 करोड़ की शराब, 56.45 करोड़ की ड्रग, 21.33 करोड़ की बहुमूल्य धातुएं और 11.48 करोड़ की अन्य सामग्री है।

यूपी >> 2853 किलो विस्फोटक बरामद : पेज 5

मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाया : *चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा और उन्हें रोकने में नाकाम रहने पर वहां के डीआईजी एस मुकेश को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। आयोग ने बताया, मुर्शिदाबाद में हिंसा की दो घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें हथियार व विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। मुख्य सचिव बीपी गोपालिक को लिखे पत्र में आयोग ने कहा, इस निर्देश पर तत्काल अमल किया जाए।*

- ***अब तक 106 सरकारी सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की है।*** *वे नेताओं के चुनाव प्रचार में सहायता करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे।*

दैनिक जागरण

हर दिन 100 करोड़ के ड्रग्स, नकदी व आभूषण हो रहे जब्त

जागरण ब्यूरो ● **नई दिल्ली** : लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, हालांकि इससे पहले ही चुनाव में धनबल के इस्तेमाल की कोशिशें शुरू हो गई हैं। एक मार्च से 13 अप्रैल के बीच देश में अवैध तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान लाई जा रही या फिर संग्रह करके रखी गई कुल 4650 करोड़ की नकदी व सामग्री चुनाव आयोग ने जब्त की है यानी हर दिन करीब 100 करोड़ की जब्ती। इनमें अकेले दो हजार

चुनाव आयोग की सख्ती

करोड़ से अधिक की कीमत का ड्रग्स शामिल है। इसके अलावा करीब चार सौ करोड़ की नकदी, 489 करोड़ की शराब, 562 करोड़ के सोने-चांदी के आभूषण और 1,142 करोड़ के उपहार भी जब्त किए गए हैं। यह लोकसभा चुनावों के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती है।

चुनाव में मतदाताओं को नकदी, शराब, ड्रग्स और उपहारों के जरिए लुभाने के बढ़ते चलन को देखते हुए आयोग पहले से अवैध रूप से इन चीजों के परिवहन और जमाखोरी पर नजर रखता है। इसके लिए आयकर विभाग, ईडी, आबकारी विभाग, सीआइएसएफ, सिविल एविएशन, पुलिस, परिवहन, कस्टम, वनविभाग और बीएसएफ सहित दूसरे बलों की टीमें लगाई हैं।

लोकतंत्र से छल
›› संपादकीय

स्वतंत्र भारत

चुनाव आयोग ने 44 दिन में 4658.13 करोड़ जब्त किए

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से

- लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये सबसे ज्यादा
- हर दिन करीब 100 करोड़ की जब्ती हो रही

13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में 4658.13 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इनमें कैश, सोना-चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3475 करोड़ रुपए सीज किए थे। आयोग ने सोमवार को बताया कि

चुनावों की आधिकारिक घोषणा से पहले जनवरी और फरवरी में कुल 7502 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इस तरह, जनवरी से 13 अप्रैल तक कुल 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। आयोग के मुताबिक, 1 मार्च के बाद से जब्त किए गए सामान में 2068.85 करोड़ के ड्रग्स, 1142.49 करोड़ के मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान, 562.10 करोड़ की कीमती धातुएं, 489.31 करोड़ की शराब और 395.39 करोड़ कैश शामिल है। कैश सहित सभी सामानों को मिलाकर हर दिन करीब 100 करोड़ रुपए सीज किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 53 करोड़ कैश, तेलंगाना में 49 करोड़, महाराष्ट्र में 40 करोड़, कर्नाटक और राजस्थान में 35-35 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 124.3 करोड़ की शराब सीज की गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 51.7 करोड़, राजस्थान में 40.7 करोड़, उत्तर प्रदेश में 35.3 करोड़ और बिहार में 31.5 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल जब्ती में 45 फीसदी ड्रग्स और नशीले पदार्थ हैं। गुजरात से सबसे ज्यादा करीब 485.99 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं।

<u>समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024</u>

<u>आज</u>

हर दिन 100 करोड़ जब्त कर रहा है चुनाव आयोग

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बताया कि उनके अधिकारी एक मार्च से प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये जब्त कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों ने नकदी, मादक पदार्थ और शराब सहित कुल 4,650 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की है। कुल जब्ती में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी मादक पदार्थों की है।आयोग ने कहा कि एक मार्च से की गई जब्ती, 2019 के संसदीय चुनाव के दौरान जब्त किये गए 3,475 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को सात चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान एक जून को होना है।आयोग ने कहा कि

मतदान से पहले जब्त किए 4650 करोड़

अधिकारियों ने एक मार्च से प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की है। अब तक कुल 4,658 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती में 395 करोड़ रुपये नकद, 489 करोड़ रुपये से अधिक की शराब और 2,069 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ शामिल हैं। आयोग ने कहा कि राजनीतिक वित्तपोषण के अलावा काले धन का इस्तेमाल, समान अवसर को प्रभावित कर सकता है। यह जब्ती, प्रलोभन और कदाचार मुक्त लोकसभा चुनाव कराने तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के उसके संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।पिछले कुछ वर्षों में गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में चुनावों के दौरान बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है।आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले महीने आम चुनाव की घोषणा करते हुए धन बल को एक प्रमुख चुनौती बताया था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक नेताओं की मदद करते पाये गए करीब 106 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उसने कड़ी कार्रवाई की है।

पायनियर

धनबल पर चला चुनाव आयोग का चाबुक, 5000 करोड़ रुपये जब्त

राजेश कुमार। नई दिल्ली

चुनावी बॉन्ड पर रहस्य और विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पिछले डेढ़ महीने में चुनाव आयोग द्वारा लगभग 5000 करोड़ रुपये के बेहिसाब धन के प्रवाह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण के मतदान से पहले नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुओं और मुफ्त आपूर्ति के रूप में काले धन पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने 1 मार्च से अब तक 4658.167 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग ने औसतन प्रति दिन 100 करोड़ रुपये जब्त किए हैं, इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इस अवधि के बीच 2069 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गईं। 4,658 करोड़ रुपये की कुल वसूली में से मुफ्त उपहार और अन्य वस्तुएं 1142.49 करोड़ रुपये से अधिक हैं, नकद घटक 395.39 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि शराब 489.31 करोड़ रुपये से अधिक है। गौरतलब है कि 45 फीसदी जब्ती ड्रग्स (2,069 करोड़ रुपये) की है।

चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चला है कि अधिकारी 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपये की जब्ती कर रहे हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि 1 मार्च से अब तक की गई जब्ती 2019 के संसदीय चुनावों के दौरान बरामद 3,475 करोड़ रुपये से अधिक है। यदि इसमें जनवरी और फरवरी की जब्ती राशि जो 7502 करोड़ रुपये थी, जोड़ दी जाए तो अब तक कुल जब्ती 12000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। इस बीच, सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने जिले में हिंसा और अधिक घटनाओं को तुरंत रोकने के लिए अधिकारी की कथित पर्यवेक्षण की कमी को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को हटाने का आदेश दिया है। 778.52 करोड़ रुपये से अधिक के साथ राजस्थान सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद जब्ती सूची में गुजरात (605.33 करोड़), तमिलनाडु (460.84 करोड़), महाराष्ट्र (431.34 करोड़), पंजाब (311.84 करोड़), केरल (281.43 करोड़) दिल्ली (236.06 करोड़), पश्चिम बंगाल (219.60 करोड़), और बिहार (155.76 करोड़) का नंबर है। गौरतलब है कि 45 फीसदी बरामदगी ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है, जिन पर आयोग का विशेष ध्यान है। विशेष रूप से, नशीली दवाओं की बरामदगी पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया था, जो जनवरी और फरवरी 2024 में कुल बरामदगी का लगभग 75 प्रतिशत था।

आंकड़ों से पता चलता है कि 533 करोड़ रुपये के साथ, लोगों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार और अन्य सामान देने की सूची में भी राजस्थान शीर्ष पर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल (96 करोड़ रुपये) और महाराष्ट्र (79 करोड़ रुपये) हैं। विशेष रूप से, 485 करोड़ रुपये के साथ, मतदाताओं को लुभाने वाली दवाओं की सूची में गुजरात शीर्ष पर है, इसके बाद तमिलनाडु (293 करोड़ रुपये) और पंजाब (280 करोड़ रुपये) हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को शराब बांटने में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शीर्ष पर हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इस साल जनवरी और फरवरी में कुल बरामदगी में से लगभग 75 प्रतिशत नशीली दवाओं की जब्ती थी और चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की (**शेष पेज 9**)

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

हिन्दुस्तान

दागी उम्मीदवारों को जानकारी सार्वजनिक करनी होगी

लखनऊ,विशेष संवाददाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को इसके बारे में सूचनाएं तीन बार सार्वजनिक करानी होगी। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान समय-समय पर मतदाताओं की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए

- अखबारों में तीन बार प्रकाशित करानी होंगी सूचनाएं
- संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध टीवी चैनलों में भी सूचना का प्रसारण कराना होगा

चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

दैनिक जागरण

आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को तीन बार सार्वजनिक करनी होगी सूचना

उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन

राज्य ब्यूरो, जागरण• लखनऊ : निर्वाचन आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। ऐसे उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने की समय-सीमा भी निर्धारित की है। सूचना को नाम वापसी के आखिरी दिन से मतदान के 48 घंटे पूर्व तक तीन चरणों में प्रकाशित-प्रसारित करना अनिवार्य है।

आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपनी पृष्ठभूमि की सूचना को पहली बार नाम वापसी की तिथि के चार दिनों के भीतर प्रकाशित करना होगा। दूसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद पांच से आठ दिनों में कराना होगा और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के नौवें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। ऐसे प्रत्याशियों को आयोग से निर्धारित फांट साइज के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना होगा, जो एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्रों में हो। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध एवं लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इस सूचना का प्रसारण करवाना होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के बाद सूचना के प्रकाशन संबंधी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

अमर उजाला

आपराधिक इतिहास की जानकारी तीन बार देंगे प्रत्याशी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। ये नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद से शुरू होकर मतदान के 48 घंटे पहले तक तीन चरणों में सार्वजनिक करनी होगी। इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना व मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी देना है।

आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में देना अनिवार्य

रिणवा ने बताया कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। पहला प्रकाशन नाम वापसी की तारीख के बाद चार दिन के भीतर व दूसरा प्रकाशन नाम वापसी की तारीख के बाद 5 से 8 दिनों में कराना होगा। तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तारीख के बाद 9वें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना का प्रकाशन आयोग द्वारा निर्धारित शब्दों के आकार में अपने निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराना होगा। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध और लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इसका प्रसारण करवाना होगा, इसकी समयावधि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच कम से कम सात सेकंड की हो। ब्यूरो

डीएनए

आपराधिक उम्मीदवारों को अपने बारे में सार्वजनिक करनी होगी जानकारी

अखबारों में तीन बार प्रकाशित करानी होगी सूचनाएं

डेली न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को इसके बारे में सूचनाएं तीन बार सार्वजनिक करानी होगी। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी।

उन्होंने सोमवार को बताया कि चुनाव आयोग का यह फैसला निर्वाचन प्रक्रिया के सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। चुनाव प्रचार के दौरान समय-समय पर मतदाताओं की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। नाम वापसी के अंतिम दिन से शुरू होकर मतदान के 48 घंटे पहले तक तीन चरणों में इसके बारे में सूचना प्रकाशित व प्रसारित करानी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर पहला प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद चार दिनों के अंदरए दूसरा नाम वापसी की तिथि के बाद पांच से आठ दिन, तीसरा नाम वापसी की तिथि के नौवें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। यह सूचना आयोग द्वारा निर्धारित फांट साइज के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया जाएगा। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध व लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इस सूचना का प्रसारण करवाना होगा। इसकी समयावधि सुबह आठ से रात 10 बजे के बीच कम से कम सात सेकंड के लिए होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी अपनी सूचना के प्रकाशन संबंधी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इसी प्रकार की रिपोर्ट राजनीतिक दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जाएगी।

- चुनाव आयोग का यह फैसला निर्वाचन प्रक्रिया के सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है : नवदीप रिणवा

चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक का नाम छापना होगा अनिवार्य

लखनऊ (डीएनएन)। चुनाव प्रचार सामग्री पैंफलेट, पोस्टर या बैनर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पाता छापना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवणा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हुए हैं। इस निर्देश के साथ आयोग ने अब आउटडोर मीडिया पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाले सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों के लाइसेंसधारियों ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है। सभी नगरीय निकायों व स्थानीय प्रशासन, जो कि होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं, द्वारा आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के निर्धारित मानक के अनुरूप निश्चित स्थान पर लगी हो और होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर में प्रकाशित सामग्री में मुद्रक व प्रकाशक का नाम मुद्रित हो, इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी। इस निर्देश का प्रभाव यह होगा कि चुनाव सामग्री की प्रिटिंग में शामिल सभी पक्षों को अधिक सतर्क रहना होगा और उन्हें अपनी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी।

शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 17.2 लाख किए गए पाबंद

लखनऊ (डीएनएन)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 2342964 लोगों को नोटिस देते हुए अब तक 1702559 लोगों को पाबंद किया गया है। पुलिस विभाग ने आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए हैं। इसके अलावा 4169 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराए गए हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 2352 केंद्रों पर छापामार कर 120 केंद्रों को सीज किया। इसके साथ ही 189 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 189 कारतूस, 709 किलोग्राम विस्फोटक व 12 बम बरामद कर सीज किए गए।

आयोग की सख्ती से 150.79 करोड़ का सामान हुआ जब्त

लखनऊ (डीएनएन)। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देश पर बनाए गए प्रवर्तन इकाइयों द्वारा छापेमारी अभियान में अब तक 150.79 करोड़ रुपए के सामान जब्त किए गए हैं। इसमें अवैध शराबए नगदी आदि है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस और नार्कोटिक्स विभाग व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक मार्च से 14 अप्रैल तक कुल 15079.66 लाख रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किए हैं। इसमें 24.68 करोड़ रुपए नगद, 36.84 करोड़ की शराब, 56.45 करोड़ की ड्रग, 21.33 करोड़ की बहुमूल्य धातुएं और 11.48 करोड़ रुपए की अन्य सामग्री जब्त की गई। आबकारी, आयकर, पुलिस व नार्कोटिक्स विभाग और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों 14 अप्रैल को 346.19 लाख रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 23.07 लाख रुपए नगद धनराशि, 85.33 लाख रुपए कीमत की 27866.10 लीटर शराब, 177.79 लाख रुपए कीमत की 194054.68 ग्राम ड्रग और 60 लाख रुपए कीमत की 814 ग्राम बहुमूल्य धातुएं जब्त की गई।

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

स्वतंत्र भारत

आपराधिक छवि के प्रत्याशी अपने बारे में जानकारी सार्वजनिक करें : सीईओ

स्वतंत्र भारत ब्यूरो लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपने बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी यही नहीं मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी।

सोमवार को चुनाव आयोग का यह फैसला निर्वाचन प्रक्रिया के सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। चुनाव प्रचार के दौरान समय- समय पर मतदाताओं को जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए चुनवा आयोग ने उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है जिसमें नाम वापसी के के अंतिम दिन से शुरू होकर मतदान के 48 घंटे पहले तक तीन चरणों में इसके बारे में सूचना प्रकाशित व प्रसारित करानी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर पहला प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद चार दिनों के अंदर, दूसरा नाम वापसी की तिथि के नौवें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक करना होगा। यह सूचना आयोग द्वारा निर्धारित फ्रंट साइजके अुनसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया जाएगा। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध व लोकप्रिया टीवी चैनलों में भी इस सूचना का प्रसारण करवाना होगा। इसकी समयावधि सुबह आठ से रात 10 बजे के बीच कम से कम सात सेकंड के लिए होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नर्वाचन प्रक्रिया के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी अपनी सूचना के प्रकाशन संबंधी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने के साथ ही इसी प्रकार की रिपोर्ट राजनीतिक दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जाएगी।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 14 अप्रैल तक 15079.66 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं ६ नगदी आदि जब्त किये गये। इसमें 2468.94 लाख रुपये नकद धनराशि, 3684.07 लाख रुपये कीमत की शराब, 5645.08 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2133.54 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1148.03 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 14 अप्रैल को 346.19 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 23.07 लाख रुपये नकद, 85.33 लाख रुपये कीमत की 27866.10 लीटर शराब, 177.79 लाख रुपये कीमत की 194054.68 ग्राम ड्रग एवं 60 लाख रुपये कीमत की 814 ग्राम बहुमूल्य धातुएं जब्त की गयी। प्रमुख जब्ती में जनपद अयोध्या की अयोध्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 100 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 500 ग्राम ड्रग, जनपद गौतमबुद्धनगर की दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 26.88 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 107500 ग्राम ड्रग तथा जनपद वाराणसी की वाराणसी कैण्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10.39 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 41560 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी। इसके अतिरिक्त जनपद बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10.02 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 110 लीटर शराब और जनपद फिरोजाबाद की टुण्डला (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 60 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 814 ग्राम बहुमूल्य धातु पकड़ी गयी।

485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान के तहत 16 मार्च से 14 अप्रैल तक पुलिस विभाग ने आपराधिक व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये हैं। 4169 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को यह बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसके अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई कर रही है। सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1844 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 23,42,964 लोगों में से 17,02,559 लोगों को पाबन्द किया गया है। पुलिस विभाग ने 6412 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 6519 कारतूस, 2853.5 किलोग्राम विस्फोटक व 335 बम बरामद कर सीज किया है। अवैध शस्त्र बनाने वाले 2352 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 120 केन्द्रों को सीज किया गया।

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

पायनियर

प्रत्याशियों को तीन बार सार्वजनिक करनी होगी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि

● समाचार पत्रों व टीवी में प्रकाशित और प्रसारित कराएं आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचनाः नवदीप रिणवा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

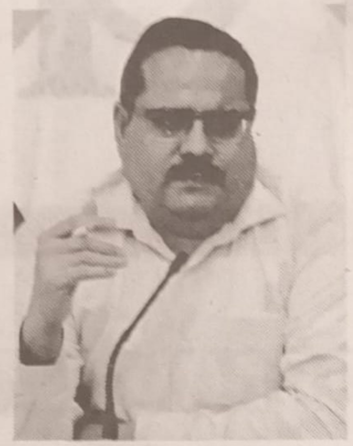

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है और मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी प्रदान करना है। यह निर्वाचन प्रक्रिया के सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। चुनाव प्रचार के दौरान समय-समय पर मतदाताओं की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है, जो नाम वापसी के अंतिम दिवस के बाद से प्रारम्भ होकर मतदान के 48 घंटे पूर्व तक तीन चरणों में प्रकाशित/प्रसारित कराया जाना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को तीन बार सार्वजनिक करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। पहला प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 4 दिनों के भीतर कराना होगा। दूसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 5 से 8 दिनों में कराना होगा और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 9 वें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा।

प्रत्याशियों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना का प्रकाशन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए फॉण्ट साइज के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया जाए, जो किसी एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्रों में हो। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध एवं लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इस सूचना का प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच कम से कम 7 सेकंड के लिए प्रसारण होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी अपनी सूचना के प्रकाशन संबंधी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इसी प्रकार की रिपोर्ट राजनैतिक दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जाएगी।

स्पष्ट आवाज

अपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को अपनी सूचना तीन बार सार्वजनिक करनी होगी : आयोग

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है और मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी प्रदान करना है। यह निर्वाचन प्रक्रिया के सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। चुनाव प्रचार के दौरान समय-समय पर मतदाताओं की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है, जो नाम वापसी के अंतिम दिवस के बाद से प्रारम्भ होकर मतदान के 48 घंटे पूर्व तक तीन चरणों में प्रकाशित/प्रसारित कराया जाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को तीन बार सार्वजनिक करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। पहला प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 04 दिनों के भीतर कराना होगा। दूसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 05 से 08 दिनों में कराना होगा और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 9वें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। प्रत्याशियों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना का प्रकाशन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये फॉण्ट साइज के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया जाए, जो किसी एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्रों में हो। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध एवं लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इस सूचना का प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच कम से कम 7 सेकंड के लिए प्रसारण होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी अपनी सूचना के प्रकाशन संबंधी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इसी प्रकार की रिपोर्ट राजनैतिक दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जायेगी।

आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन : सीईओ

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 14 अप्रैल, तक कुल 15079.66 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किये गये। इसमें 2468.94 लाख रुपये नकद धनराशि, 3684.07 लाख रुपये कीमत की शराब, 5645.08 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2133.54 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1148.03 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 14 अप्रैल, को कुल 346.19 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 23.07 लाख रुपये नकद धनराशि, 85.33 लाख रुपये कीमत की 27866.10 लीटर शराब, 177.79 लाख रुपये कीमत की 194054.68 ग्राम ड्रग एवं 60 लाख रुपये कीमत की 814 ग्राम बहुमूल्य धातुएं जब्त की गयी। 14 अप्रैल को प्रमुख जब्ती में जनपद अयोध्या की अयोध्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 100 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 500 ग्राम ड्रग, जनपद गौतमबुद्धनगर की दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 26.88 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 107500 ग्राम ड्रग तथा जनपद वाराणसी की वाराणसी कैण्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10.39 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 41560 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी। इसके अतिरिक्त जनपद बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10.02 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 110 लीटर शराब तथा जनपद फिरोजाबाद की टुण्डला (एस0सी0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 60 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 814 ग्राम बहुमूल्य धातु पकड़ी गयी।

स्पष्ट आवाज

चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता होना अनिवार्य

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत, चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर के मुद्रण में मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हुए हैं। इस निर्देश के साथ आयोग ने अब 'आउटडोर मीडिया' पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाले सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों के लाइसेंसधारियों/ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है। सभी नगरीय निकायों व स्थानीय प्रशासन, जो कि होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं, द्वारा आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। चुनाव प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के निर्धारित मानक के अनुरूप निश्चित स्थान पर लगी हो तथा होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर में प्रकाशित सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम मुद्रित हो, इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी।

इस निर्देश का प्रभाव यह होगा कि चुनाव सामग्री की प्रिटिंग में शामिल सभी पक्षों को अधिक सतर्क रहना होगा और उन्हें अपनी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी और मतदाताओं को उचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्देश चुनावी प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और उसे नैतिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे चुनाव प्रचार में शामिल सभी मुद्रित सामग्री की उत्पत्ति और वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान हो सकेगी, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरुरी है।

ग्रुप–5 समाचार

सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता होना अनिवार्य

चुनाव प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए निर्धारित मानक के अनुरूप निश्चित स्थान पर लगी हो : रिणवा

ग्रुप 5 संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत, चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर के मुद्रण में मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हुए हैं। इस निर्देश के साथ आयोग ने अब 'आउटडोर मीडिया' पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाले सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों के लाइसेंसधारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है। सभी नगरीय निकायों व स्थानीय प्रशासन, जो कि होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं, द्वारा आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। चुनाव प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के निर्धारित मानक के अनुरूप निश्चित स्थान पर लगी हो तथा होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर में प्रकाशित सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम मुद्रित हो, इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी। इस निर्देश का प्रभाव यह होगा कि चुनाव सामग्री की प्रिंटिंग में शामिल सभी पक्षों को अधिक सतर्क रहना होगा और उन्हें अपनी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी और मतदाताओं को उचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्देश चुनावी प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और उसे नैतिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

पायनियर

सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता होना अनिवार्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत, चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर के मुद्रण में मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हुए हैं। इस निर्देश के साथ आयोग ने अब 'आउटडोर मीडिया' पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाले सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों के लाइसेंसधारियों/ ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है। सभी नगरीय निकायों व स्थानीय प्रशासन, जो कि होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं, द्वारा आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। चुनाव प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के निर्धारित मानक के अनुरूप निश्चित स्थान पर लगी हो तथा होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर में प्रकाशित सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम मुद्रित हो, इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी। इस निर्देश का प्रभाव यह होगा कि चुनाव सामग्री की प्रिंटिंग में शामिल सभी पक्षों को अधिक सतर्क रहना होगा और उन्हें अपनी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी और मतदाताओं को उचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

स्वतंत्र चेतना

चुनाव प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए निर्धारित मानक के अनुरूप निश्चित स्थान पर लगी हो: नवदीप रिणवा

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत, चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर के मुद्रण में मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता।

आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हुए हैं। इस निर्देश के साथ आयोग ने अब आउटडोर मीडिया पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाले सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों के लाइसेंसधारियों/ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है। सभी नगरीय निकायों व स्थानीय प्रशासन, जो कि होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं, द्वारा आयोग के निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। चुनाव प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के निर्धारित मानक के अनुरूप निश्चित स्थान पर लगी हो तथा होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर में प्रकाशित सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम मुद्रित हो, इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी इस निर्देश का प्रभाव यह होगा कि चुनाव सामग्री की प्रिटिंग में शामिल सभी पक्षों को अधिक सतर्क रहना होगा और उन्हें अपनी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी और मतदाताओं को उचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्देश चुनावी प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और उसे नैतिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे चुनाव प्रचार में शामिल सभी मुद्रित सामग्री की उत्पत्ति और वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान हो सकेगी, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरुरी है।

अमृत विचार

चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम व पता अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

भारत निर्वाचन आयोग

- विज्ञापन करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी तय
- भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

अमृत विचार : भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता अनिवार्य कर दिया है। विज्ञापन करने वाली एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में आयोग ने निर्देश जारी किया है। आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसे सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देश के तहत सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर के मुद्रण में मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता।

आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इस निर्देश के साथ आयोग ने अब 'आउटडोर मीडिया' पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाले सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों के लाइसेंसधारियों-ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है। सभी नगरीय निकायों व स्थानीय प्रशासन जो कि होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं, को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

मतदाताओं को पता होगा विज्ञापन करने वाले का नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव सामग्री की प्रिंटिंग में शामिल सभी पक्षों को अधिक सतर्क रहना होगा और उन्हें अपनी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी और मतदाताओं को उचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। निर्वाचन आयोग का यह निर्देश चुनावी प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और उसे नैतिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे चुनाव प्रचार में शामिल सभी मुद्रित सामग्री की उत्पत्ति और वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान हो सकेगी, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है।

अमर उजाला

485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त, 2853 किलोग्राम विस्फोटक बरामद

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में अभी तक कुल 150 करोड़ की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त की गई है। 16 मार्च से अभी तक अपराधिक व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए। 4169 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराए गए। उन्होंने बताया कि सीआरपीसी के तहत 23.42 लाख लोगों को पाबंद करने के नोटिस भेजे गए। इनमें से 17 लाख से ज्यादा लोगों को पाबंद किया जा चुका है। पुलिस द्वारा 6412 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 6519 कारतूस, 2853 किलो विस्फोटक व 335 बम बरामद कर सीज किए गए। अवैध शस्त्र बनाने वाले 2352 केंद्रों पर छापे मारे गए और 120 केंद्रों को सीज किया गया। ब्यूरो

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

हिन्दुस्तान

आयोग ने अब तक 98 लाख प्रचार सामग्री हटाई

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सार्वजनिक और निजी स्थानों से 9822764 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई। इनमें सार्वजनिक स्थानों से 5929782 और निजी स्थानों से 3892982 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग 632639, पोस्टर 2786765, बैनर 1689357 और अन्य 821021 मामलों में कार्रवाई की गई।

आयोग की सख्ती से 150 करोड़ का सामान जब्त

लखनऊ। प्रवर्तन इकाइयों द्वारा छापेमारी अभियान में अब तक 150 .79 करोड़ रुपये के सामान जब्त किए गए हैं। इसमें अवैध शराब, नगदी आदि है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस विभाग व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक मार्च से 14 अप्रैल तक कुल 15079 .66 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किए हैं।

तीसरे चरण के लिए अब तक 18 नामांकन

लखनऊ। यूपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए सोमवार को 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब तक इस चरण में 19 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने उपरोक्त जानकारी दी है। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल तथा मतदान की तिथि सात मई है।

डीएनए

243.13 लाख की शराब, ड्रग व नगदी जब्त

लखनऊ (डीएनएन)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। एम मार्च से 13 अप्रैल तक कुल 14635.94 लाख कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किए गए। इसमें 2465.52 लाख नगद धनराशि, 3554.04 लाख की शराब, 5402.75 लाख की ड्रग, 2065.61 लाख कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1148.03 लाख कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गई।

अपराधिक व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए

लखनऊ (डीएनएन)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1844 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 13 अप्रैल तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए हैं।

अमृत विचार

दो करोड़ 43 लाख की शराब व नकदी जब्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸▸ अब तक 146 करोड़ का सामान एजेंसियों ने पकड़ा

अमृत विचार : प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के तहत चल रही कार्रवाई में दो करोड़ 43 लाख की शराब व नकदी जब्त की गई है। अब तक कुल 146 करोड़ 35 लाख रुपये की की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी जब्त की जा चुकी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों के जरिये अवैध शराब, नकदी, ड्रग आदि को जब्त किया जा रहा है। बीती एक मार्च से 13 अप्रैल तक कुल 24 करोड़ 65 लाख 52 हजार रुपये नकद धनराशि, 35 करोड़ 54 लाख रुपये कीमत की शराब, 54 करोड़ दो लाख 75 हजार रुपये कीमत की ड्रग, 20 करोड़ 65 लाख 61 हजार रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं व 11 करोड़ 48 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गई। मुख्य जब्ती में लखनऊ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में 84.56 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 1048 ग्राम बहुमूल्य धातु पकड़ी गई। मुरादाबाद की कुन्दरकी विधानसभा क्षेत्र में 11.51 लाख रुपये, रामपुर की मिलक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की नकद धनराशि पकड़ी गई।

96,02,386 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गईं

अमृत विचार : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक व निजी स्थानों से कुल 96,02,386 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गईं। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 57,89,690 व निजी स्थानों से 38,12,696 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 6,15,504, पोस्टर के 27,25,637, बैनर के 16,52,019 व अन्य 7,96,530 मामलों में कार्रवाई की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 4,96,242, पोस्टर के 17,39,233 बैनर के 9,24,206 व अन्य 6,53,015 मामलों में कार्रवाई की गई।

स्वतंत्र चेतना

अपराधिक व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये

ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जाँच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1844 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 14 अप्रैल, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4169 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 23,42,964 लोगों को पाबंन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 17,02,559 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 6412 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 6519 कारतूस, 2853.5 किलोग्राम विस्फोटक व 335 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 2352 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 120 केन्द्रों को सीज किया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 14 अप्रैल, 2024 को पुलिस विभाग द्वारा 16 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 27,782 लोगों को पाबन्द किया गया।

दैनिक जागरण

एक ही पोलिंग पार्टियां कराएंगी दोनों चुनाव

- लोस व विस उपचुनाव कराने के लिए मास्टर ट्रेनर्स देंगे मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण
- 20 मई को लखनऊ में होने वाले चुनाव के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे बीस हजार कार्मिक

जासं ● लखनऊ : 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ पूर्वी विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। लखनऊ में जो पोलिंग पार्टियां लोकसभा चुनाव कराएंगी उनको ही उपचुनाव भी कराना होगा। उपचुनाव के लिए अलग से पोलिंग पार्टियां नहीं होंगी। दो चुनाव एक साथ कराने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 29 अप्रैल को मतदान कार्मिकों की प्रथम ट्रेनिंग केकेसी कालेज में कराई जाएगी।

सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लेकर बैठक की। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद मास्टर ट्रेनर्स सभी कार्मिकों को स्मार्ट बोर्ड पर ट्रेनिंग देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मास्टर ट्रेनर्स को बताया की प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को सबसे पहले पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल और ईवीएम जमा करने वाले स्थल के लेआउट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दोनों स्थलों के लेआउट के प्रिंट कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ● प्रशासन

चुनाव कार्मिकों की सुविधा के लिए विधानसभावार सेक्टर मजिस्ट्रेट वाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाएंगे ताकि किसी तरह की समस्या का तत्काल निस्तारण कराया जा सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक तृतीय रेंडमाइजेशन (जो की पोलिंग पार्टी रवानगी से 48 घंटे पहले होता है) के बाद मतदान कार्मिकों को एसएमएस के माध्यम से पोलिंग सेंटर, बूथ, पोलिंग पार्टी में उपस्थित मतदान कार्मिकों का विवरण और सेक्टर मजिस्ट्रेट का विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। छह प्रकार के लिफाफों के सेट में मतदान सामग्री रख कर जमा की जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद मास्टर ट्रेनर्स को पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान कार्मिकों को ट्रेनिंग देनी है। डीएम ने अफसरों को सख्त निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के दौरान कोई भी कार्मिक बिना सूचना अनुपस्थित नहीं होगा।

समाचार पत्रों की निरीक्षा आख्या दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

हिन्दुस्तान

सजगता | जिस बूथ पर एक प्रत्याशी को 75 फीसदी वोट मिले वह संवेदनशील होगा, जिन बूथों पर 95 फीसदी से ज्यादा मतदान हुए वह संवेदनशील श्रेणी में शामिल

राजधानी के ज्यादा मतदान वाले बूथ भी संवेदनशील की श्रेणी में

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथ और इलाके चिह्नित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जहां पिछले चुनाव में ज्यादा मतदान हुआ, ऐसे बूथ भी शक की निगाह में आ गए हैं। इन बूथों का ब्योरा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट निकाल रही है।

लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 380 संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथ चिह्नित किए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस संयुक्त रूप से अपनी रिपोर्ट तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिन बूथों पर मतदान 95 फीसदी से अधिक हुआ हो उनको इस सूची में शामिल किया गया है। एक ही प्रत्याशी को जहां 75% से ज्यादा मत मिले हैं, वे भी इस श्रेणी में आते हैं।

संवेदनशील मतदान केन्द्रों की सीसी कैमरों से लाइव निगरानी तो होगी ही, वीडियोग्राफी भी होगी।

380 संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथ लखनऊ में तय किए

300 संवेदनशील बूथ थे पिछले लोकसभा चुनाव में

पिछले लोकसभा चुनावों में संवेदनशील बूथों की संख्या 300 थी। इनमें 174 अति संवेदनशील थे। बीकेटी में 29, मलिहाबाद में 18, सरोजनीनगर में 29, लखनऊ पश्चिम में 23, लखनऊ उत्तर में 18, लखनऊ पूर्व में दो, लखनऊ मध्य में 31, लखनऊ कैंट में 11 थे।

मतदान कर्मियों को वॉट्सअप पर मिलेगी जानकारी

पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान अधिकारियों तक को वाट्सअप ग्रुप पर जरूरी सूचनाएं मिलेंगी। पोलिंग पार्टी रवानगी से लेकर केन्द्र तक पहुंचने के बीच कोई भ्रम की स्थिति न हो इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कोई दिक्कत होने पर तुरंत संबंधित कर्मचारी ग्रुप पर साझा कर सकेंगे। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में जिलाधिकारी ने यह बताया। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र और सेक्टर मजिस्ट्रेट के स्तर पर वाट्सअप ग्रुप बनाए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहले मतदान के लिए तैनात कर्मचारियों को मूलभूत जानकारियां देंगे।

छह लिफाफों में जमा की जाएगी मतदान सामग्री

जिलाधिकारी ने बताया कि छह तरह के लिफाफों के सेट में.कर्मचारियों को मतदान सामग्री रख कर जमा करनी होगी। मास्टर ट्रेनर जब पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे, तो इस बारे में विस्तार से बताएंगे। यह भी बताएंगे कि कौन से लिफाफे में क्या प्रपत्र रखे जाएंगे।

लखनऊ पूर्व में दो चुनाव

प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 173 लखनऊ पूर्व विधान सभा क्षेत्र में दो चुनाव हो रहे हैं। यहां तैनात कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव के साथ विधान सभा का उप चुनाव भी कराना होगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मिलेगी जानकारी

अब 29 अप्रैल को केकेसी में मास्टर ट्रेनर मतदान कराने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। बारीकियां उनको बताई जाएंगी। जैसे मतदान की गोपनीयता भंग न हो। ईवीएम, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट सही से जुड़ी हैं या नहीं बताएंगे।

दैनिक जागरण

तीसरे चरण के लिए अब तक 19 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

राज्य ब्यूरो, जागरण•लखनऊ : उप्र में तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए अब तक 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सोमवार को 18 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। संभल, आगरा (अजा), मैनपुरी, एटा और आंवला में एक-एक, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद व बदायूं दो-दो, हाथरस (अजा) में तीन और बरेली में चार प्रत्याशियों ने नामांकन किया। तीसरे चरण के लिए 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। सात मई को वोट डाले जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 15 अप्रैल को संभल निर्वाचन क्षेत्र के लिए पीस पार्टी से राशिद ने नामांकन पत्र भरा। हाथरस निर्वाचन क्षेत्र के लिए सपा से जसवीर, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से घनश्याम सिंह व निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल, आगरा के लिए भाजपा से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशियों में अंबेडकरी हसनुराम अंबेडकरी तथा रामेश्वर सिंह,फिरोजाबाद सीट से सपा से अक्षय यादव और भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी से उपेंद्र सिंह, मैनपुरी सीट के लिए भाजपा से जयवीर सिंह, एटा से भाजपा राजवीर सिंह, बदायूं सीट के लिए सपा से आदित्य यादव और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से किशोर कुमार, आंवला के लिए भाजपा से धर्मेंद्र कश्यप, बरेली के लिए भाजपा से छत्रपाल सिंह, जनशक्ति एकता पार्टी से रोहताश कुमार वंचित समाज इंसाफ पार्टी से लईक अहमद मंसूरी और निर्दलीय नितिन मोहन ने नामांकन पत्र भरा।

दैनिक जागरण

आयोग के समक्ष बढ़ते तापमान में मतदान बढ़ाने की चुनौती

राज्य ब्यूरो, जागरण●लखनऊ : मतदान के दौरान मौसम का पारा चढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। ज्यादा गर्मी का मतदान प्रतिशत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के समक्ष मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का औसत मतदान 59.21 प्रतिशत रहा था जो कि राष्ट्रीय औसत 67.40 से काफी कम था।

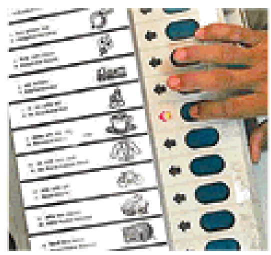

भीषण गर्मी को देखते हुए निर्वाचन आयोग के स्तर से हाल ही में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। स्पष्ट कहा गया है कि मौसम विभाग की लू के संबंध में की गई भविष्यवाणी को देखते हुए मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए मतदेय स्थलों पर टेंट, छतरियां, कुर्सियां, पंखे की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था के साथ ही स्थानीय सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य विभाग और आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय बनाए रखने की बात भी कही गई है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की लू से सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

Times of India

Lurking tigers emerge as major poll issue in Pilibhit forest fringes

Keshav Agarwal | TNN

Pilibhit: Days before Pilibhit goes to the hustings, the focus has shifted sharply to a pressing issue: the conflict between villagers and wildlife, particularly leopards and tigers. Despite political leaders' claims about govt achievements and welfare programmes, over 250 villages within the Pilibhit Tiger Reserve (PTR)'s eco-sensitive zone grapple with fear, particularly regarding tiger attacks. These villages, with a population of about 8 lakh, have a large number of voters who can sway the election results.

"Even a slight ruffle in our agricultural field scares us, especially during the current phase of wheat and sugarcane harvesting," said Rama Charan, a resident of Pandri in Pilibhit, which witnessed the killings of two persons in tiger attacks just this year.

275 villages affected by the issue of tigers straying and the resulting conflicts leading to deaths, injuries

72 villages declared sensitive or highly sensitive due to the increased likelihood of tiger attacks. **8 lakh** people and large number of voters in these hamlets can swing poll results

➤ Tiger population was **23** in **2014** and rose to **71** in **2022** in 620sqkm core forest. PTR awarded TX2 in **2020** for doubling tiger population in just **4 years**

➤ Only **30-35** tigers can be sustainably accommodated in core forest area for each of them to have their own territory

Villager Deaths: 49 since 2016: Moreover, dozens more have suffered serious injuries, highlighting the severity of the human-tiger conflict in the region

Demand: Chain-Link Fencing: Villagers have been demanding fencing along the periphery of PTR for their safety

Political Promises: Candidates from various parties have made promises regarding **relocation of tigers** from PTR to other regions with lower tiger densities and **more compensation for victims**

"Even a slight ruffle in the cropped field scares us of the tiger's presence... | **RAMA CHARAN**, PILIBHIT VILLAGER

Since its establishment in 2014, the PTR has recorded a surge in tiger population, causing distress among locals. The tiger population, confined to a mere 23 in 2014, soared to 71 in 2022. National leaders and top forest officials have celebrated this significant achievement, yet little attention has been given to the negative repercussions on the ground. Since 2016, 49 villagers have lost their lives to tiger attacks, with many more injured, amplifying the urgency for a solution.

According to PTR authorities and wildlife experts, the core forest area can sustain a maximum of 30-35 tigers based on grassland management and prey distribution. With tigers being territorial, young ones struggle to establish independent territories in the overcrowded reserve, leading to over 40% of tigers venturing into rural areas.